कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन,भोपाल–462004

अंतिम तिथि 31.10.2007

राज्य शासन की एकीकृत छात्रवृत्ति वर्ष 2007–08

शिक्षा सत्र 2007–08 में छात्रवृत्ति के लिये निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है । छात्रवृत्तियों के आवेदन संस्था प्रमुखों के माध्यम से नीचे दिये गये पते पर, दी गई समय सीमा अधिकतम दिनांक 31.10.07 तक प्राप्त हो जाने चाहिये । पात्रता/शर्तें निम्न है :–

1 माध्यमिक शिक्षा मण्डल म0प्र0तथा मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों से वर्ष 2006–07 में अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र/छात्राओं को ही आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता होगी ।

2. यह छात्रवत्तियों केवल सामान्य शिक्षा के छात्रों के लिए दी जाती है ।

3. सामान्य शिक्षा के लिये स्वीकृत एकीकृत छात्रवृत्ति, व्यवसायिक महाविद्यालय में प्रवेश पाने पर स्थानान्तरित नहीं की जावेगी ।

4. संस्कृत छात्रवृत्ति के लिये केवल प्राच्य पद्धति के संस्कृत महाविद्यालयों के छात्रों के ही आवेदन मान्य किय जायेंगे।

5. एकीकृत छात्रवृत्ति हेतु अभिभावकों की वार्षिक आय रूपये 25,000/– से अधिक न हो ।

6. वेतन भोगी अधिकारी/कर्मचारी अभिभावकों को आहरण संवितरण अधिकारी का आय प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।

7. अन्य आय वर्गीय व्यक्तियों को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/नोटरी द्वारा आय घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

8. छात्रवृत्ति के लिये आवेदन संस्था प्रमुखों के माध्यम से समय सीमा दिनांक 31.10.2007 तक इस कार्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जाएगा।

9. इच्छुक छात्र–छात्राऐं अपने शैक्षणिक संस्थाओं से आवेदन प्राप्त कर संस्था प्रमुख के माध्यम से भेजे ।

आवेदन पत्र संचालनालय को भेजने के पूर्व संस्था प्रमुख उन्हें भेजी गई छात्रवृत्ति मार्गदर्शिका के अध्याय–3 पृष्ठ 28–29 में दी गई प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करें ।

10. चाही गई छात्रवृत्ति का नाम आवेदन के ऊपरी भाग में बड़े अक्षरों में लिखें।

11. अग्रेषणकर्ता संस्था प्रमुख द्वारा आय सीमा से अधिक के आवेदनों पर बड़े अक्षरों में आय सीमा की बड़ी रबर मोहर आवेदन की मुख्य पृष्ठ पर लगाये।

12. संकाय वार छात्रवृत्ति का विवरण निम्नानुसार है :–

स.क्र	छात्रवृत्ति	विषय अथवा छात्र / छात्रायें	कोटा	राशि प्रतिमाह	निर्धारित अर्हता
1.	शोध	विज्ञान कला वाणिज्य	9 7 2	600 / –	1.म0प्र0 में किसी विश्ववि.में शोध कार्य के लिए पंजीयन (आर्.डी.सी.) में साक्षात्कार के उपरांत किया हो । 2. पी.जी. में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त हो
2.	एम.फिल	विज्ञान कला वाणिज्य	7 6 1	300 / –	1. स्नातकोत्तर में कम से कम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त हो ।
3.	स्नातकोत्तर योग्यता	विज्ञान कला वाणिज्य	36 26 11	250 / –	वर्ष 2006–07 में स्नातक उपाधि परीक्षा में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त हो ।
4.	स्नातकोत्तर योग्यता (सहसाधन)	विज्ञान कला वाणिज्य	36 26 11	250 / –	1. वर्ष 2006–07 में अपनी स्नातक उपाधि परीक्षा में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त हो ।
5.	खेल–कूद	छात्र छात्राऐं	11 11	150 / –	जो छात्र मध्य प्रदेश की स्कूल टीम में राष्ट्रीय खेल दल में रहे हो या जो प्रदेश की व्यस्क टीम में हो या प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता में पहले तीन स्थानों में से किसी पर रहे हो ।
6.	स्नातक योग्यता	विज्ञान कला वाणिज्य	73 51 22	150 / –	माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षा में वर्ष 2006–07 में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो ।
7.	स्नातक योग्यता (सहसाधन)	विज्ञान कला वाणिज्य	73 51 22	150 / –	1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षा में वर्ष 2006–07 में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त हो
8.	फिल्म एवं दूरदर्शन संस्थान, पूणे		2	600 / –	मध्य॑पदेश के छात्रो द्वारा प्रवेश पाने पर एवं संस्थान के संचालक की अनुशंसा पर
9.	राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली		2	600 / –	––––––––"––––––
10.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली		2	600 / –	––––––"––––––––
11.	संस्कृत छात्रवृत्तियां	 1.स्नातकोत्तर (एम.ए. क्लासिक) 2. आचार्य 3. स्नातक	 7 7 11	 250 / – 250 / – 150 / –	वर्ष 2006–07 को उपाधि परीक्षा में 50प्रतिशत प्राप्त किये हो । वर्ष 2006–07 में शास्त्री अथवा समकक्ष परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो । 10–2 की वर्ष 2006–07 की परीक्षा में या उस के समकक्ष परीक्षा में 50

		(बी.ए. क्लासिक)			प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो ।
		4. शास्त्री	18	150/–	––––––''––––––––
		5.उत्तर मध्यमा	33	75/–	पूर्व मध्यमा में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो
		6. पूर्व मध्यमा	33	75/–	प्रथमा अथवा समकक्ष में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो
		7. प्रथमा	91	50/–	पांचवी परीक्षा में योग्यता के आधार पर प्रथम 91 छात्रों को

टिप्पणीः–

1. उपरोक्त जानकारी बेव साइट– www.mp.nic.in/highereducationmp पर उपलब्ध है । साथ ही संबंधित संभाग के क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा/विश्वविद्यालय के कुल सचिव एवं प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय से भी प्राप्त की जा सकती है ।

2. आवेदन पत्र आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल को दिनांक 31.10.2007 तक प्राप्त हो जाना चाहिए । विलम्ब से प्राप्त आवेदन अमान्य किये जायेंगे। संबंधित प्राचार्य/संस्था प्रमुख की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी ।

इस संदर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा सतपुड़ा भवन भोपाल में पदस्थ विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (छात्रवृत्ति) से भी दूरभाष क्रमांक–0755–2551573 पर संपर्क किया जा सकता है ।

आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित

(डॉ. अलकनन्दा पलनीटकर)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश